FORM NO. III

# कर्द अहकाम

(नियम 16)

ग्राम अकबरपुर

इजलास तहसीलदार मुकाम महवा

सरकार बनाम हंसराम पु० रामू जाति मीणा।

किस्म मुकदमा धारा 91 LR Act नं. 289/18 सन्

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 07/2/18 | पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 5/3/2018 को पेश हो।<br>तहसीलदार<br>तहसील-महवा (दौसा) | |
| 05/03/2018 | पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी अनुपस्थित रहा है न्यायहित में अतिक्रमी को पुनः नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 9/3/2018 को पेश हो।<br>तहसीलदार<br>तहसील-महवा (दौसा) | |
| 9/3/18 | पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमी की माँ गणगौरी उपस्थित आई है अतिक्रमी की माँ द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः ग्राम अकबरपुर की अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी को [illegible] रूप से बेदखल किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है।<br>तहसीलदार<br>तहसील-महवा (दौसा) | निशानी माँ गणगौरी |

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

283/18 तारीख रजू 19/2/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का कमालपुर बनाम हंसराम पुत्र रामु जाति मीना निवासी अकबरपुर तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 9/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री हंसराम ने ग्राम अकबरपुर को भूमि ख.न. 32 रकबा 0.20 किस्म चरागाह फसल रबि / खरीफ संवत 2074 में सरसों कर अतिक्रमण किया है । इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी की ओर से मां उपस्थित आया। ~~उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया~~ उक्त जबाब मे उसके द्वारा अपने बचाव मे कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नही किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 32 रकबा 0.20 किस्म चरागाह वाके ग्राम अकबरपुर से बेदखल किया जाता है । तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 8.80 का 50 गुणा 440 रू. शस्ति से दण्डित किया जाता है । तथा इस पर खडी फसल सरसों को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों । तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)
तहसीलदार महवा

रजिस्टर ग/घ के पेज नं. 84 पर
वर्ष 2017-18
440
दिनांक 9/3/18
लेखाकार
तहसील-महवा